IV 34/402

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

₹. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 117575

श्री साईं माँ शारदा सेवा ट्रस्ट

ग्राम- बसिरहा, पोस्ट- गम्भीरपुर, तहसील- निजामाबाद, जिला- आजमगढ़, उ०प्र० भारत वर्ष ।

100

यह न्यास विलेख आज दिनांक 31-07-2020 को तहसील- निजामाबाद जिला- आजमगढ़ में श्री शिवम राय उम्र तक़० २४ साल पुत्र श्री चन्द्रभूषण राय ग्राम- बसिरहा, पोस्ट- गम्भीरपुर, तहसील- निजामाबाद, जिला- आजमगढ़, उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया है, जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा, क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक के पास रूपया १०,०००/- मात्र की राशि है । जिसे पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं । न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अग्रिम न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेगा ।

ट्रस्ट का न्यासकर्ता ही मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक कहा जायेगा । न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक की यह भी इच्छा है कि वह अपने विभिन्न श्रोतों से दान, अनुदान, उपहार, डोनेशन,ऋण, चन्दा, आदि के द्वारा ट्रस्ट का कोष सम्पदा एवं साधन को और बढ़ाया जा सके । ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके, और न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रूपया. १०,०००/- नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान कर रहे है ।

Shivam Rai

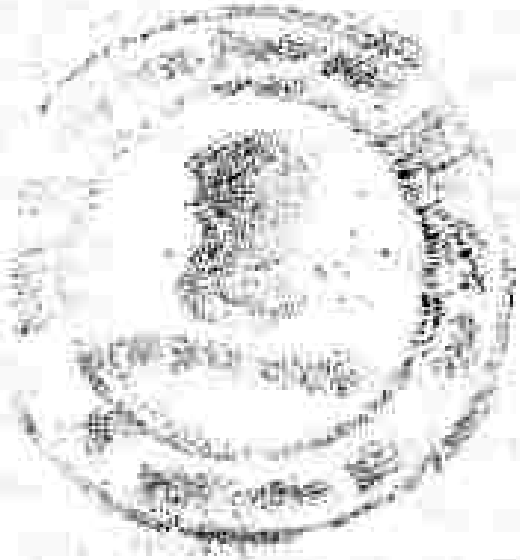
पत्र-32
100

श्री पवार मां कालिका पोल्ट्री फार्म एण्ड एग्रिकल्चर इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. जिलाधिकारी

23.07.2020

विनय कुमार पवार स्वतन्त्र निदेशक
मा०सं० 40, फतेपट्टी कलाली
अमरगढ़





भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 183214

क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम- बसिरहां, पोस्ट- गम्भीरपुर, तहसील- निजामाबाद, जिला- आजमगढ़, उ०प्र० है, अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा । क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्य निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है ।

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट १८८२ के अर्न्तगत कार्यरत ट्रस्ट)

गवाह नं॰ 1



गवाह नं॰ 2.



Shivam Rai



8.58
58

Adv. 7.52

27.08.2020

विनय कुमार पाल स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स 40, कलेक्ट्रेट कचहरी
आजमगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 183216

-३-

ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :-

१: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व-प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों ,कान्वेण्ट,विद्यालयों,बालश्रमिक विद्यालयों,आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, हरिजन विद्यालयों,अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू/अरबी/फारसी,हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों,विकलांग विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों,आँगन बाड़ी,बाल बाड़ी, पुष्टाहार योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों, किसान महाविद्यालयों, धरवाहा विद्यालयों ,बालिका विद्यालयों/महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन सम्पूर्ण भारत वर्ष सहित सम्पूर्ण विश्व में करने का प्रयास करना ।

२: निःशुल्क पुस्तकालयों,वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों,छात्रावासों,अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों,नारी निकेतनों, बालसंरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों ,संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं,आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

३: बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बंधुआँ मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

Shivam Rai

कि.सं.
वाद

वाद सं. 92

27.07.2020

विनय कुमार यादव सदर विवेचना
ला०अ० 40, कलेक्ट्री कचहरी
आजमगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 183217

४: विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिमअंग,भोजन,आवास,शिक्षा,वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का क्रय व वितरण करना । तथा विकलांग जन अधिनियम (सहभागिता,संरक्षण एवं अधिकार) १९९५ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

५: कार्यक्रम के अन्तर्गत, कम्प्यूटर हार्ड वेयर,कम्प्यूटर साफ्ट वेयर,इण्टरनेट,साइबर कैफे,सिलाई,कढ़ाई,कटाई,बुनाई,तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला,कम्प्यूटर,टंकण,आशुलिपि, इलैक्ट्रिकल्स एण्ड इलैक्ट्रानिक्स,पेंटिंग, जरीकढ़ाई, चिकनकढ़ाई, कालीनबुनाई,दरी बुनाई ,संगीत,नाट्य वाद्य कला,नृत्य, मोटर ट्रेनिंग कालेजों ,कृषि अनुसंधान केन्द्रों ,ब्यूटीपार्लरों,फोटोग्राफी,ए.सी.,रेफ्रिजरेशन, फैशन डिजाइनर,एक्स-रे,टेक्नीशियन,लैब,पैथालोजिस्ट,मोबाइल रिपेयरिंग, मासकम्युनिकेशन, साफ्टवायज,नृत्यथियेटर,माडलिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग, प्रेस रिपोर्टर,प्रेस ट्रेनिंग,होटल मैनेजमेन्ट एण्ड आफिस मैनेजमेन्ट,बिजनेस डेवलपमेन्ट, ट्रेनिंग पेंटिंग,आई०टी० आई०, म्यूजिक आर्ट,पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

६: जनविकास हेतु विचारगोष्ठियों,प्रवचन सभाओं,अध्ययन शिविरों,स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना, तथा धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना ।

Shivam Rai

[illegible]

[illegible] 2020

विनय कुमार पाण्डेय सहायक निबंधक
सि०स० 40, फतेहपुर कचहरी।
अधिवक्ता





प्रदेश UTTAR PRADESH BY 183218

७: नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना ।

८: गरीब,हरिजन,विकलांग,मेधावी,निराश्रित,असहाय,मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों वाल श्रमिको को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामाग्री प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।

९: पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना । प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों,पशु अस्पतालों ,प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१०: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,यूनीसेफ,डब्लू०एच०ओ० ,सिडबी, अवार्ड,कपार्ट,नाबार्ड नोराड ,डूडा ,सूडा, डवाकरा अम्बेडकर ग्राम,समग्र ग्राम,स्वर्ण जयन्ती, स्वरोजगार,स्वजल धारा,सिपसा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना ।

११: बालक/बालिकाओं,कलाकारों,के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों,सेमीनारों ,गोष्ठियों, प्रदर्शनियो आदि का आयोजन,संचालन करना सफल बालक/बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करना

१२: भारत सरकार,प्रदेशसरकार,जिला ,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन-विकास हेतु विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ।

Shivam Rai



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -६- BY 183219

१३: वाटरशेड व जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

१४: मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों,टीकाकरण शिविरों,पल्सपोलियो शिविरों,हेपेटाइटिस शिविरों,दवाखानों,धर्मिटेबुल अस्पतालों,एड्स,अपंगता,कुष्ठ,अंधता निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

१५: कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मोमबत्ती,अगरबत्ती,दियासलाई,वाशिंगपाउडर, क्लीचिंगपाउडर, साबुन,अचार,मुरब्बा,चिप्स, चाकलेट,नमकीन,बिस्कुट,तेल,चाय,कागज की कप,प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१६: समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज,बाल विवाह,नशा,शराब,गाँजा,अफीम, भाँग,तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१७: गाँवों का विकास करना तथा गाँवों में निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,सफाई,पेयजल, तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना, तथा स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में लाने हेतु १०० प्रतिशत मतदान कराना व भारत के हर नागरिक को पहचान पत्र दिलाने का प्रयास करना, तथा भारत को स्वच्छ एवं शक्तिशाली देश बनाना ।

Shivam Rai



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -6- BY 183221

१८: गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ०सी०आर०ए०, ३५ ए० सी०, ३५ ए० सी० १ व २ की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा इसके अर्न्तगत इण्टरनेशनल गेटवे एकाउन्ट संचालित करने का प्रयास करना एवं भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना

१९: कस्तूरबा गाँधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अर्न्तगत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

२०: युवाओं की माँगों को सरकार तक सद्भाव पूर्वक पहुँचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना ।

२१: दैवीय आपदा यथा बाढ़,सुखा,भूकम्प,महामारी,ओलावृष्टि,तूफान, आदि के समय लोगो की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन,दवा-इलाज, आवास,वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना ।

२२: वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना,उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना,देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा इसके प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय,भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन विभागीय अनुमति से करना, तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार-प्रसार करना ।

Shivam Rai

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 183222

२३: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।

२४: स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना ।

२५: स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच व परीक्षण कराना एवं समय-समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना ।

२६: युवक व युवतियों में समाज सेवा देश सेवा,ग्राम सेवा,सदाचार ,कर्तव्य सहायता,सद्भाव आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाईचारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना

२७: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहें मलेरिया, एड्स, कैंसर, टी०बी०,चेचक, आदि के उन्मूलन एवं नियत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधायें विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।

२८: सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना, तथा विश्व में भारत की पहचान बनाना एवं भारत को विश्वगुरू बनाने का प्रयास करना ।

Shivam Rai

849
50

Order No: 82

24.03.2020

विनय कुमार पाण्डेय विशेष सिविल
जज/ए.डी. 40, कानपुर नगर.



भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

BY 183223
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

२९: स्वास्थ्य, राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा यूनानी, आयुर्वेदिक,प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगा आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना, तथा इस निमित्त विद्यालयों/महाविद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना ।

३०: भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे कैशलेस इण्डिया, पेपरलेस इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, डिजिटल टीचर, डिजिटल कानूनी सहायता, डिजिटल भुगतान आदि योजनाओं को बढ़ावा देना एवं इनका प्रचार-प्रसार करना ।

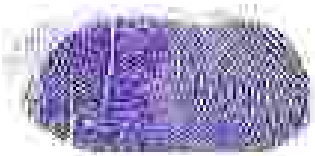
३१: औषधि कार्यों के लिए जड़ी बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना, आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनके गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताना तथा जल संरक्षण,जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

३२: गरीब असहाय,निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक-पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ,टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना

३३: कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकीयंत्रों, खादों,बीजों, कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

३४: जेटोफर (डीजल का पौधा) सागौन का पौधा, रतन जोत पौधा, सफेद मुसली आदि की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं जेटोफर के वृक्ष को लगवाने का प्रयास करना ।

Shivam Rai





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 183224

३५: जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ,तथा जीव -जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को समाप्त तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना ।

३६: युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना, तथा आध्यात्मिक व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना ।

३७: जेटोफर के बीजों का किसानों को उचित मूल्य दिलवाने एवं उसका क्रय-विक्रय करने का प्रयास करना, तथा ट्रस्ट के विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।

३८: भारत व विश्व में योग के माध्यम से संयम एवं सदाचार का भाव जागृत करने का प्रयास करना, तथा समाज में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना ।

३९: स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना तथा स्वदेशी खान-पान, रहन-सहन, दवा-इलाज, कपड़ा व स्वदेशी शिष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करना

४०: कृषि क्षेत्र में लोगों को स्वदेशी जैविक खादों को प्रयोग में लाने की सलाह देना तथा स्वदेशी जैविक खादों के निर्माण की विधि को लोगों बताना व स्वदेशी जैविक खाद को बनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना ।

४१: कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

Shivam Rai

दीपी
68

ORIGINAL

27.07.2020

विनय कुमार यादव स्टाम्प विक्रेता
ला०नं० 40, कलेक्ट्री कलक्टरी
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BY 183225

४२: यूनानी,आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण करना व करवाना एवं उनकी देख-रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार-प्रसार करना तथा जगह -जगह नि:शुल्क यूनानी,आयुर्वेदिक चिकित्सालयों,शिविरों ,दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

४३: संस्था विकास हेतु आयकर अधिनियम की धारा १२ (ए) एवं ८० जी (५) की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना ।

४४: भविष्य में प्राप्त ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति की देख-भाल व सुरक्षा करना, तथा उसकी बाउन्ड्री वाल तैयार कराने का प्रयास करना ।

४५: पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा पर्यटन स्थलों की देख-भाल व सुरक्षा करने का प्रयास करना, तथा देश-विदेश से आये आगन्तुकों के लिए विश्रामकक्षों,भोजन, दवा-इलाज वस्त्रादि का प्रबन्ध करने का प्रयास करना ।

४६: हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

४७: ग्रामीण कृषकों के समस्याओं को हल कराने का प्रयास करना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कृषि योजनाओं को ग्रामणी कृषको को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

Shivam Rai

Exhibit
50

Case No. 30

Vinay Kumar Yadav Stamp Vendor
Lic No. 40, Kacheri Campus
Allahabad



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 437079

४८: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना,जिसके अन्तर्गत वृद्ध पुरुष, महिला जो असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख-रेख चिकित्सा व उनके पुनर्वासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना ।

४९: कृषि बाड़ा से होने वाली सुरक्षा के बारे में किसानो को अवगत कराने का प्रयास करना

५०: किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी राष्ट्रीय बैंक से ऋण,अनुदान आदि प्राप्त करना या किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक,मंत्री,राज्यमंत्री ,राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विदेशी सरकार आदि से सहायता दान,चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना ।

५१: विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अर्न्तराष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करने का प्रयास करना ।

५२: मेड़बन्दी, भूमिसमतलीकरण एवं अन्य कृषि यांत्रिकी को प्रोत्साहन देना, तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५३: दलहनी, तिलहनी व अन्य सभी फसलों के सुरक्षा हेतु कटीले बाड़ों से खेत को चारो तरफ से घेरवाने का प्रयास करना ।

५४: सिंचाई संसाधन का विकास करना, तथा वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु किसानो को जागरूक करना ।

Shivam Raj

विनय कुमार जैन साप्ता विवेक
लाजपत नगर, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद



40AA 437081

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

६३: किसानों की माली हालत सुधारने का प्रयास करना तथा मूल्यवान पौधे यथा शीशम, शाखू, शीशम आदि का रोपण करवाना एवं उसके खरीद-फरोख्त करना ।

६४: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीनों, मजदूरों एवं ग्रामीण दस्तकारों को स्व:रोजगार में लगाने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयास करना ।

६५: जल संरक्षण, जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

६६: भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के नियमानुसार कार्य करना ।

६७: गो सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना तथा जीव जन्तु हेतु समस्त प्रकार के कार्य करना ।

६८: जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आवेदन करना तथा सहायता प्राप्त कर उन्हें भौतिक रूप से क्षेत्र में लागू करना तथा जीव जन्तुओं की रक्षा करने का प्रयास करना ।

६९: चयनित क्षेत्र के कृषकों को भूमि सैनिक के रूप में चयन करना तथा भूमि सैनिकों को एक सुसंगठित क्रियाशील समूह के रूप में गठित करना ।

७०: कृषि के उन्नतिशील का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देकर भूमि एवं जल संरक्षण उद्यानीकरण/कृषि वानिकी आदि कार्यों को अपनाकर आय में वृद्धि करना ।

Shivam Rai

015
50

22.01.2020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 437082

७१: जीव - जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ।

७२: जीव - जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना ।

७३: हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार-प्रसार करना।

७४: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीणों के आर्थिक,नैतिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास करना ।

७५: गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर,आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा विकास करना ।

७६: खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आनुषांगिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना , तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक व आध्यात्मिक पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन एवं संचालन करना व समय-समय पर जनहित के लिए व पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ/हवन करना व करवाना तथा राष्ट्रहित एवं विश्वहित के लिए अलग-अलग संगठनों का निर्माण करना एवं इन्हे संचालित करना ।

७७: परियोजना क्षेत्र के भूमिहीन खेतिहर भूमि सैनिकों को कार्य हेतु भूमि का आंवटन कराकर खेती योग्य बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।

Shivam Rai



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 437082

७१: जीव - जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ।

७२: जीव - जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना ।

७३: हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार-प्रसार करना।

७४: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीणों के आर्थिक,नैतिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास करना ।

७५: गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर,आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा विकास करना ।

७६: खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आनुवांशिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना , तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक व आध्यात्मिक पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन एवं संचालन करना व समय-समय पर जनहित के लिए व पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ/हवन करना व करवाना तथा राष्ट्रहित एवं विश्वहित के लिए अलग-अलग संगठनों का निर्माण करना एवं इन्हें संचालित करना ।

७७: परियोजना क्षेत्र के भूमिहीन खेतिहर भूमि सैनिकों को कार्य हेतु भूमि का आंवटन कराकर खेती योग्य बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।

Shivom Rai

वाद सं० 90

22-07-2020

विनय कुमार गौतम राज्य विवेचना
लाल नं० 40, अलेखड़ी कचहरी
अलीगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 437083

७८: किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों आयोग/अथवा राज्य मण्डल,और अथवा संस्था/और/अथवा/संघ/राज्य सरकार से चन्दा,दान,अनुदान,वसीयत,डोनेशन,उपहार और धरोहरों आदि को प्राप्त अथवा स्वीकार करना ।

७९: ट्रस्ट द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने लिए किसी भी भूमि,भवन,सुवाधारी,तथा बल और/अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, क्रय-विनिमय, किराये या पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना ।

८०: मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख-रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेर-फेर,विस्तार,सुधार,मरम्मत,परिवर्तित अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश,नाली,पानी,फर्नीचरों,जुड़नारों,यंत्रों, उपकरणों,संचित्रों से सुसज्जित और प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित है। उपयोग के लिए अन्य अवश्यकताओं की व्यवस्था करना ।

८१: ट्रस्ट से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल) होगी, का क्रय विक्रय, प्रबन्धन, हस्तान्तरण,विनियम,बंधक,डिमाइस,पट्टा अथवा किराये पर देना निस्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहार करना ।

८२: ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित/या सहित अथवा बंधक प्रभार, माराक्रान्ति या गिरवी रखना ।

Shivam Rai

CWP-27-82

23.02.2020

विनय कुमार यादव स्वतन्त्र लिपिकार
न्यायालय अ०, पश्चिमी कमरतगी
अगरतला



40AA 437084

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

८३: ट्रस्ट की सभी अथवा किन्ही उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए शाखाऐं खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना ।

८४: ट्रस्ट की किसी भी गतिविधियों की उपलब्धि के लिए प्रसांसनिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना ।

८५: ट्रस्ट के लाभ का उपयोग ट्रस्ट के लक्ष्यों को पूरा करने में किया जायेगा ।

८६: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ,उ० प्र० खादी कमीशन के पैटर्नानुसार खादी वस्त्रो एवं खादी कच्चे धागों का निर्माण करना तथा इसके लिए लघु उद्योगो की स्थापना व संचालन करके बेरोजगार लोगो को वस्त्र बनाने व बेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

८७: खादी का प्रचार-प्रसार करना तथा इसके निमित्त लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग,खादीकमीशन,केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण,अनुदान,दान,चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसकाउपयोग संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना ।

८८: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था विकास मे कार्य करना ।

८९: ट्रस्ट के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए मुख्यट्रस्टी/न्यासकर्ता अपने पद नाम से बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलना तथा लेन-देन अथवा जैसी भी आवश्यकता जो बैंक/बैंकों के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना ।

Shivam Rai

Ann. P-22

22.07.2022

विनय कुमार अग्रवाल सहायक निदेशक
सी०पी० 40, पालेखड़ी कचहरी
औरंगाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AA 437086

६०: निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर उठाने का प्रयास करना ।

६१: कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगो तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना

६२: क्षेत्र के लोगो के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योग तथा सेवाओं की विकास की योजनाये बनाना तथा कार्यक्रम चलाना ।

६३: क्षेत्र के समग्र विकास के परिपेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी कमीशन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवितियों एवं पैटर्न के अनुसार मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना व विकास की योजना बनाना तथा खादी ग्रामोद्योग तथा अन्य ग्रामीण उद्योग (रूरल इण्डस्ट्रीज) के विकास/प्रसार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

६४: मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज की सप्लाई करने का प्रयास करना ।

६५: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत तालाबों,पोखरों, नदियों आदि का सफाई करने प्रयास करना ।

६६: मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना तथा इस निमित्त व्यवसायियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना ।

६७: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले तालाबों व पोखरों की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना ।

६८: मत्स्य पालकों में उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना

Shivam Rai

23.07.2020

विनय कुमार यादव स्टाम्प विक्रेता
ला०नं० 40, कलेक्ट्री कचहरी
आजमगढ़





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 437087

९९: मत्स्य बीज का उत्पादन करना व मत्स्य पालकों में निःशुल्क वितरण करना ।

१००: मत्स्य विकास में चलाई जा रही सभी योजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना

१०१: समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी०एड०,एम०एड०, बी०पी०एड०, बी०एल०एड०, सी०पी०एड०,बी०टी०सी०, यू०टी०सी०,एल०एल०बी०,डी०एल०एड० आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१०२: उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों, तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१०३: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों,आई०सी०एस०ई० विद्यालयों,इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना ।

१०४: पैरामेडिकल कालेज के अर्न्तगत नर्सिंगहोमों,फार्मेसी,पैथालाजी,रेडियोलाजी,फिजियोथेरैपी, ऑप्टोमिर्टी, नर्स,आदि प्रशिक्षण केन्द्रो तथा एलोपैथिक, होम्योपैथिक,आयुर्वेदिक, यूनानी आदि मेडिकल कालेजो व इंजीनियरिंग कालेजों, विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१०५: गो पालन एवं पशुपालन के माध्यम से भारत राष्ट्र को सुखी सम्वृद्धिशाली सशक्त तथा सम्पन्न बनाने का प्रयास करना ।

१०६: गोवंश एवं कृषि के उपयोगी पशुधन को वध से बचाने का प्रयास करना ।

१०७: सम्पूर्ण गोवंश को कसाईयों एवं गोवंश तस्करी से छुड़ाने का प्रयास करना ।

Shivam Ra

27.02.2020

विनय कुमार यादव सहायक शिक्षक
मण्डल 40, अम्बेडकर नगर
आजमगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 437088

१०८: तस्करों एवं कसाईयों से छुड़ाये गये गोवंश एवं पशुधन को अपने अभिरक्षा में लेकर उनका भरण-पोषण एवं सेवा करने का प्रयास करना ।

१०९: गोवंश से सभी सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी करना तथा तस्करों को कठोरतम दण्ड दिलाने का प्रयास करना ।

११०: गोवंश विकास योजना के माध्यम से बेकारी समस्या का निदान करना,जिसमें महिला दुग्ध उत्पादक योजना भी समाहित करने का प्रयास करना ।

१११: पंच गव्य (गाय का दूध ,दही गोमूत्र,गोबर,घीगृत) से सभी प्रकार की औषधियों का निर्माण करना तथा गोबर से अगरबत्ती,साबुन,दंत मंजन, पाउडर आदि का निर्माण करने की सही व उचित राय देने का प्रयास करना ।

११२: उत्तम जाति के सांड़ों के माध्यम से गोवंश विकास करके अधिक दूध देने वाली जाति की संतानों को उत्पन्न करने का प्रयास करना ।

११३: गोमांस एवं मांस निर्यात पर विशेष ध्यान देकर मांस निर्यात रोकने का हर प्रकार से प्रयास करना

११४: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आई०टी०आई०, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों, आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

११५: पर्यावरण पारिस्थितकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को संचालित करना व करवाना तथा ग्रीन इण्डिया एंव ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जनजागरूकता फैलाने का प्रयास करना ।

११६: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों, आई०सी०एस०ई० विद्यालयों,इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्व विद्यालयों,राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना, तथा दूरस्थ शिक्षा आदि का प्रबन्ध करना एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर शिक्षा के विकास हेतु कार्य करना ।

Shivam Rai

वाद सं० 52

ई० सं०
20

27.07.2020

विनय कुमार पाण्डेय स्टाम्प विक्रेता
ला०नं० 40, कलेक्ट्री कचहरी
आजमगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 437089

१२७: समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने व कराने का प्रयास करना ।

१२८: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।

१२९: बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना

१३०: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, चेचक आतंक ,डेंगू बुखार, चिकन गुनिया, जापानी इनसेफलाइटिस,फाइलेरिया,क्षय रोग,रक्तिम रोग,राष्ट्रीय कार्यक्रम,राष्ट्रीय संचारी रोग, सिगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी०बी०,चेचक,गिनी कृमि,प्लेग आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधायें विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।

१३१: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब,असहाय, लोगों को भोजन,चिकित्सा,आवास,वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना ।

१३२: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बौद्ध विहार स्थापना व संचालन करना तथा पुराने बौद्ध विहारों की देख-भाल,सुरक्षा तथा जीर्णोद्धार आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना ।

१३३: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करके उनके कृतियों का समाज में प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध विहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना ।

१३४: अम्बेडकर जयन्ती,कांशीराम जयन्ती,संत रविदास जयन्ती आदि समारोह विशेषकर वार्षिक मूलधर आदि को धूम-धाम से मनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना ।

Shivam Rai



१२५: भीमराव अम्बेडकर प्रतिमाओं, बौद्ध विहारों आदि का जीर्णोद्धार,निर्माण, सुन्दरीकरण, सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करना

१२६: भारत सरकार,प्रदेशसरकार,जिला ,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं व बौद्ध विहार के जीर्णोद्धार की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ।

१२७: बौद्ध विहार में आने वाले आगन्तुकों के लिए विश्रामकक्षों,स्वच्छ पेय जल,शौचालय,मूत्रालय आदि का प्रबन्ध करना ।

१२८: बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण करने वाले बौद्धों को दीक्षा प्रमाण पत्र विभागीय अनुमति से निर्गत करने का प्रयास करना ।

१२९: समय-समय पर बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन एवं संचालन करना ।

१३०: बौद्ध धम्म से जुड़े सभी संस्कारों का सम्पादन करना तथा विभागीय अनुमति से प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना ।

१३१: बौद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करना ।

१३२: दलित,शोषित तथा निर्धन लोगों में फैली असमानता,अन्धविश्वास तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना ।

१३३: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करना ।

१३४: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि के बीच उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना ।

Shivam Rai

ओ० पी० 37

22.02.2020

विनय कुमार यादव स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० 0, कलेक्ट्री कचहरी
आजमगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 475653

१३५: सरकारी कर्मचारियों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी, देशी एवं विदेशी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं उनकी की सुविधाओं को समिति के माध्यम से दिलाने का प्रयास करना ।

१३६: सरकारी कर्मचारियों,अधिकारियों तथा विदेशों में कार्यरत लोगों के उपर हो रहे अनैतिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना तथा उन्हे एक जुट कर उनकी मांगों को लेकर उस देश के सरकार के समक्ष स्वयं अथवा कोर्ट के माध्यम से अपना विचार प्रकट करना ।

१३७: मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानों को मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना ।

१३८: कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

१३९: हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र (डेयरी) की स्थापना व संचालन करना ।

१४०: मेड़बन्दी, भूमिसमतलीकरण एवं अन्य कृषि यान्त्रिकी को प्रोत्साहन देना, तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

Shivam Raj

Ex-01

Adm 9.82

27.07.2020

विनय कुमार पाण्डेय स्टाम्प विक्रेता
लाo०ले० 40, कलेक्ट्री कचहरी
आजमगढ़





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -२४- 40AA 475656

१४१: समाज को भ्रमित करने वालों या समाज में भ्रम फैलाने वालों को विधिक एवं कानूनी दण्ड दिलाने का प्रयास करना ।

१४२: राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, हरिजन कल्याण, बाल कल्याण, महिला कल्याण आदि विभिन्न विभागों द्वारा जारी जनकल्याणकारी योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना

१४३: माल, लेबर व कर्मचारी आदि की सप्लाई करना, पावलेट प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना तथा सीमेन्ट ईंट का निर्माण, मिट्टी ईंट का निर्माण, पेट्रोल पंप आदि की स्थापना व संचालन करना ।

१४४: बालू खदान, मार्बल खदान, पत्थर खदान, लोहा खदान, कोयला खदान, तालाब खदान आदि विभिन्न प्रकार के खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

१४५: शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना, तथा इस निमित्त पत्र, पत्रिकाओं, अखबारों व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना ।

१४६: ट्रस्टहित में भविष्य में प्राप्त ट्रस्ट की सम्पत्ति यथा भूमि, भवन का क्रय-विक्रय (बेचना व खरीदना) बन्धक, एग्रीमेन्ट, पट्टे, तथा भाड़े आदि पर देना एवं बैंक में ट्रस्ट की कोई भी सम्पत्ति मार्गेज करवाना, लोन लेना, ट्रस्ट के विकास के लिए एन०आर०आई० एवं एन०आर०ओ० खाता खुलवाना तथा विदेश से प्राप्त धन को जनहित व ट्रस्टहित में व्यय करने का प्रयास करना ।

Shivam Rai

दि० ५६
२०

दि० ३०.१२.२०२०

विनय कुमार ग्राम सहायक विकास
खण्ड 48, कमेच्छी बाजार
अलीगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 475657

१४७: मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति से अंग प्राप्त कर उसे जरूरत मंदो को प्रदान करने का प्रयास करना तथा ब्लड बैंक का संचालन करना ।

१४८: मानव जाति में सत् प्रेम भक्ति रसधारा के माध्यम से दया, करूणा, प्रेम व मैत्री की भावना जागृत करने का प्रयास करना ।

१४९: वर्तमान भौतिक युग में बढ़ती विषमता व अलगाव वाद को दूर करने का प्रयास करना तथा मानव को प्रेम के द्वारा अपने परिवार व समाज से जोड़ने का प्रयास करना ।

१५०: सत् प्रेम के द्वारा पूर्व मानव सुधार हेतु कार्य करना तथा सत् प्रेम, योग, ध्यान, समाधि आदि द्वारा आत्म जागरण एवं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्रदर्शित करने का प्रयास करना ।

१५१: योग, आयुर्वेदिक,प्राकृतिक, होम्योपैथिक आदि पद्धति द्वारा लोगो को मानसिक एवं शारीरिक निरोग करने का प्रयास करना, तथा इस निमित्त मेडिकल कालेजो आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना ।

१५२: इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, दूरदर्शन,टेलीफीजन,आकाशवाणी, दूरभाष केन्द्रो आदि की स्थापना व संचालन करना, तथा समाचार पत्र-पत्रिकाओं, साप्ताहिक पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, त्रैमासिक पत्रिकाओ की स्थापना, प्रकाशन, मुद्रण व संचालन करने का प्रयास करना ।

१५३: युवाओं में खेलों के प्रति उनके अन्दर जागरूकता पैदा करने का प्रयास ।

१५४: ग्रामीण व पिछड़े इलाके से कुशल खिलाड़ियों का चयन करना तथा उन्हे निःशुल्क प्रशिक्षण देने का प्रयास करना ।

Shivam Rai

6.34
20

पेज नं. 52

24.07.2020

विनय कुमार यादव स्टाम्प विक्रेता
ला0नं0 40, कलेक्ट्री कचहरी
आजमगढ़





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 475658

१५५: कुशल खिलाड़ियों के लिए अनुभवी कोचों की व्यवस्था करना तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के खेलों का हर सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

१५६: भारत सरकार,प्रदेश सरकार,जिला,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर युवाओं के विकास हेतु चलायी जा रही विशेष खेल योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

१५७: युवाओं के हितों की रक्षा हेतु कार्य करना तथा उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही खेल से सम्बन्धित हर योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास करना ।

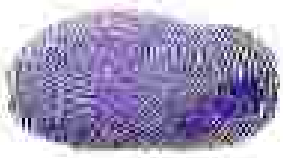
१५८: युवाओं को शिक्षित-प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित कराने का प्रयास करना ।

१५९: युवाओं को एकत्र कर उनकी संगोष्ठियों,विचारगोष्ठियों कराना तथा उनके विचारों को आदान-प्रदान करने का प्रयास करना ।

१६०: बालक/बालिकाओं,खिलाड़ियों के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमीनारों ,गोष्ठियों,प्रदर्शनियों आदि का आयोजन,संचालन करना तथा सफल बालक/बालिकाओं,को पुरस्कृत करने का प्रयास करना ।

१६१: गाँवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों,जनजागरूकता कार्यक्रमों,प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।

Shivam Rai





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AA 475660

१६२: विभिन्न प्रकार के खेलों का विकास करना तथा इस निमित्त निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१६३: किसानों को कृषि विकास से सम्बन्धित जानकारी देना तथा उनके लिए समय-समय पर किसान सेमीनारों, विचार गोष्ठियों,प्रदर्शनियों वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, किसान मेलों आदि का आयोजन,संचालन करना सफल किसानों को पुरस्कृत करने का प्रयास करना ।

१६४: किसानों के विकास में आने वाली कृषि समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना ।

१६५: मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानो मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना ।

१६६: ट्रस्टहित में जमीन का क्रय-विक्रय करने का प्रयास करना, खेलक पाटरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना ।

१६७: गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय समस्त कार्यों का संचालन करना ।

१६८: किसी समिति, संस्था, ट्रस्ट द्वारा उसके आग्रह करने पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं आदि को अपने न्यास में विलय करना एवं उनके ट्रस्ट/संस्था को अपने ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना ।

Shivam Rai

C.R.P. 30

CHIEF 90

23.07.2020

विनय कुमार पाण्डेय स्टाम्प विक्रेता
स्टा०नं० 40, कलेक्ट्री कचहरी
अलीगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 475661

प्रारम्भिक उपबन्ध :-

१: वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक ०५-०८-२०२० से श्री शिवम राय जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट डीड का मैनेजिंग ट्रस्टी यानी प्रबन्धक स्वीकृत किया जाता है ।

२: यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक श्री शिवम राय द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित किया जाय तो उनके पश्चात उनके योग्य पुत्र/पुत्री जो कि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगें । यदि उनके योग्य पुत्र/पुत्री बालिग न हो तो उनकी पत्नी इस ट्रस्ट के तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होंगी जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय ।

३: वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे, अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों या किसी को स्थानान्तरित कर सकते है

४: यदि श्री शिवम राय के निधन के समय उनके बच्चे नाबालिग हो तो उनकी ओर से उनकी पत्नी को मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्य तब तक सम्भालना होगा जब तक कि उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय ।

Shivam Rai

Civil Ref. 52

20

22.07.2020

विनय कुमार सिंह राणा विदेश
सा०पो 40, पलेवदी फलगी
अहमदाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 475662

५: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गयी रजिस्ट्री/वसीयत ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

६: यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

७: कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें या किन्हीं कारण वश मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाते हैं, तो उनके निकटतम रक्त सम्बन्ध में जो व्यक्ति लायक व समझदार होगा उसे ही मुख्य ट्रस्ट/प्रबन्धक नियुक्त किया जायेगा।

८: यदि ट्रस्ट में किसी भी बिन्दु का संशोधन करना है तो इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्टाम्प पर उक्त संशोधन टंकित कर रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वयं उपस्थित होकर संशोधन कराने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक को होगा तथा ट्रस्टी/ प्रबन्धक को यह भी अधिकार होगा कि वह स्टाम्प पेपर पर प्रबन्धसमिति का गठन कर उसे रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करा लें।

Shivam Rai

ओ
2

ओ/ए/52

27.07.2020

विनय कुमार यादव स्टाम्प विक्रेता
ला०सं० 40, कलेक्ट्री कचहरी
जौनपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-३०-

40AA 475663

बोर्ड आफ ट्रस्टीज

१: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो नियमों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है । जो इण्टरमीडिएट एजूकेशनल ऐक्ट के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष सात सदस्य व तीन पदेन सदस्य होंगे जिनकी कुल संख्या १५ होगी

२: बोर्ड आफ ट्रस्टीज के गठन हेतु इच्छुक व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के पास रूपया १०,०००/- सदस्यता शुल्क जमा कर बोर्ड आफ ट्रस्टीज बन सकता है परन्तु उनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा ,जिसे किसी भी समय बिना कोई सूचना दिये मैनेजिंग ट्रस्टी /प्रबन्धक समाप्त कर सकता है जिसके खिलाफ कोई वाद किसी भी माननीय न्यायालय स्तर पर दायर नही किया जा सकता है। सदस्यता नवीनीनकरण के समय मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने विवेकानुसार सदस्यता शुल्क बढ़ा/घटा सकता है ।

३: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक की इच्छा पर निर्भर करेगा, तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी ट्रस्टी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये उसका ट्रस्टी का पद समाप्त कर सकता है ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक बुला सकता है । जिसकी अध्यक्षता स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ही करेगा ।

Shivam Rai



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AA 475664

५: बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा, तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

६: बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना, पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अन्तिम निर्णय होगा ।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्यकाल एवं सुविधायें :-

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं यहाँ की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर पर सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

२: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आय कर लगाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

३: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने पद पर आजीवन बना रह सकता है । उसके न रहने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक से ब्लड (खून) का रिश्ता रखने वाला ही मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होगा ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी चाहे व ट्रस्ट का नाम व पता परिवर्तित कर सकता है ।

Shivam Rai



6.80

CWP-32

23-07-2020

विनय कुमार यादव एडवो विधिवत
एम०ए० ४०, कलेक्ट्री कचहरी
आजमगढ़





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 437420

कार्यक्षेत्र

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष सहित सम्पूर्ण विश्व होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं उपहार,अनुदान, दान,चन्दा,ऋण,उपहार, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकता है अथवा आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता (डोनेशन) व सलाह दे सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का विशेषाधिकार :-

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत, संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशानिर्देश दे सकता है,जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार्य होगा।

२: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है।

३: ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय-विक्रय (बेचने व खरीदने) का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा। Shivam Rai



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 475665

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव ,उपप्रबन्धक/उपसचिव ,कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के लिए प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देख-भाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए उक्त पदों की नियुक्ति कर सकता है ।

२: उक्त पदों के वेतन भत्ते,सुविधायें, कार्यनियम मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक निश्चित करेगा ।

३: उक्त व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुग्रह तथा प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक, अनुशासनात्मक/ प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है ,अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है, जिसके विरूद्ध किसी भी पदाधिकारी/सदस्य/कर्मचारी को किसी भी न्यायालय कोई वाद दायर करने का अधिकार नही होगा ।

४: उक्त पदों के सृजन हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक उचित समझें तो स्टैम्प पेपर पर उक्त लोगों के नाम, पिता/पति का नाम, पता व पद को टंकित कर रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित कर सकते है ।

Shivam Rai

पेज नं- 02

27.07.2020

विनय कुमार सिंह उर्फ विनय सिंह
आयु० 40, बाशिंदा बाराबंकी
उत्तरप्रदेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 450606

५: इण्टर मीडिएट एजूकेशनल ऐक्ट के अनुसार मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो अपने विवेकानुसार एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव एक कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों का पद सृजन कर सकता है। इनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा, लेकिन ट्रस्टी प्रबन्धक जब भी चाहे अथवा एक वर्ष बाद इनके कार्यों से सन्तुष्ट हो तो इन्हें पुनः उसी पद रख सकता है अथवा असन्तुष्ट होने पर उनको उक्त पद से जब भी चाहे हटा सकता है।

६: उक्त निष्कासन के बाद किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को किसी भी माननीय न्यायालय स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर नही कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही मान्य होगा।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य

१: बोर्ड आफ ट्रस्टी के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

२: ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करना।

३: ट्रस्ट के अर्न्तगत उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली मे संशोधन/परिवर्तन करके रजिस्टार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत कराना एवं उसे मान्य करवाना,तथा आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करना।

Shivam Roi



40AA 450607

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

४: ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय व कार्यवाही करना ।

५: ट्रस्ट के अर्न्तगत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियत्रंण रखना ।

६: ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्ति तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना ।

७: विभिन्न कार्यकलापों एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोषों/विभागों/ केन्द्रों/ संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना ।

८: ट्रस्ट को प्राप्त किसी भी शिकायत पत्र की जाँच कर निर्णय देना ।

१०: एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना ।

११: ट्रस्ट के प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

Shivam Rai



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 450608

:- खाता संचालन की व्यवस्था -:

१: ट्रस्ट का खाता किसी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खोला जायेगा। जिसका संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

२: ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय का पृथक-पृथक नाम से बैंक खाता संचालित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही खाते का संचालन किया जायेगा।

विधिक कार्यवाही

ट्रस्ट की ओर से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो प्रथम बार जनपद- आजमगढ़ के न्यायालय में ही की जायेगी जो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्त होगा एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं अथवा ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी/सदस्य द्वारा किया जायेगा।

भविष्य में प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धित :-

१: ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्टी वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक व्यक्ति को प्राप्त होते है।

२: ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख-विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

Shivam Rai

B-66
20

Crim Pf-53

27.07.2020
प्रियांशु कुमार यादव स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस 40, कचहरी कचहरी
आरा भोजपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 450613

३: ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत होगा ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय पट्टा कर सकता है, अथवा रेहन रख सकता है या किराये पर दे अथवा ले सकता है ।

५: ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति,प्रतिष्ठान,संस्था,राज्य सरकार,केन्द्र सरकार अथवा विदेशी सरकार से ऋण, दान, अनुदान,उपहार, चन्दा,आग्रह, भेट,सम्मान पुरस्कार,स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त व प्रदान कर सकता है ।

६: ट्रस्ट अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने सम्पत्ति को कहीं भी विनियोजित कर सकता है , सुरक्षित कर सकता है । किसी भी संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में अपनी आय को विनियोजित कर सकता है ।

७: चल /अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुशप्ति, बन्धक, भाराक्रान्ति विनियोजित आदि कर सकता है, तथा ले अथवा दे सकता है

Shivam Rai



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AA 450615

-शर्त-

ङ: ट्रस्ट के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें ।

च: कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

छ: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे ट्रस्ट उनका पालन करेगा ।

ज: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

झ: उपरोक्त शासन के नियम/प्रतिबन्ध क०सं० क से ज तक हमें स्वीकार है । उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा ।

:- विशेष -:

१: इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक-पृथक रूप से कमेटियों का गठन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा ।

Shivam Rai

6·7

ओम पेज : 33

विनय कुमार सहाय स्टाम्प विक्रेता
अनुज्ञप्ति सं० 20100[illegible]/आ० 40, कलेक्ट्रेट कचहरी
आजमगढ़

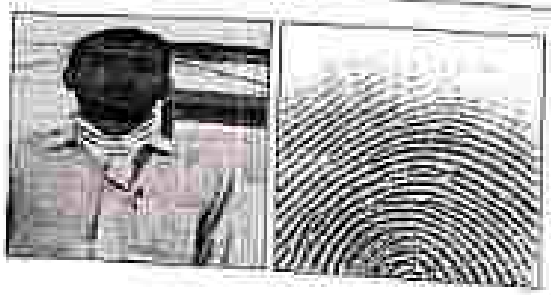
न्यायालय

बही सं० 6	रजिस्टर्ड सं० 32	वर्ष: 2020

प्रतिफल: 11000 स्टाम्प शुल्क: 1200 कमीशन शुल्क: 0 पंजीकरण शुल्क: 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क: 200 योग: 700

श्री श्रीवास्तव की मार्फत लेखा द्वारा
शिवम राय अधिवक्ता पारसिकपुरी अतिरिक्त
पुत्र श्री चन्द्रभूषण राय
न्यायालय : सेकरी
निवासी: ग्राम बसिरगढ़ी पो० रामदीरपुर तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़

Shivam Rai



श्री श्रीवास्तव की मार्फत लेखा द्वारा

शिवम राय अधिवक्ता
पारसिकपुरी अतिरिक्त

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/07/2020 को 12:41:56 PM बजे निष्पादन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डॉ० अमृता श्रीवास्तव
उप निबंधक / सिद्धान्ताकार
आजमगढ़
31/07/2020

श्री श्रीप्रकाश तिवारी
निबंधक लिपिक



लिपिक कार्य



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 450616

२: नियम/उपनियम आदि बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट के उद्देश्य व नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है, तो वह नियम/उपनियम,अतिक्रमण की सीमा तक शून्य है ।

३: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो किसी भी परिस्थिति में इस ट्रस्ट / डीड के किसी प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं, तथा प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है : इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी । इस धारा के अर्न्तगत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी । ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित सभी उद्देश्यों एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित,घोषित, पारित,आत्मसमर्पित है तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर संचालित करने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर बना दिये है ।

Shivam Rai



https://upsnap.gov.in/upsnapweb

पृष्ठ सं॰ 93

प्रति,
शिवम कुमार राय स्टाम्प विक्रेता
ला०नं० 40, कलेक्ट्री कलक्ट्री
आजमगढ़
आवेदन सं॰: 2023009670013898

बही सं॰ 4 रजिस्ट्रेशन सं॰: 32 वर्ष 2020

निम्नादत्त लेखपत्र बाद सुनने व समझने सम्यक रूप से प्राप्त धनराशि के प्रतिफलानुसार उचित पाया।

श्री श्रीकांत पुत्र बाबादा सीकर दुबर के द्वारा विक्रय राम
पुत्र श्री चन्द्रभूषण राम
निवासी: ग्रा॰ बड़ेहरी पो॰ रामपुर तह॰ निजामाबाद
जिला आजमगढ़
व्यवसाय: खेती Shivam Rai

ने निम्नादत्त स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता :

श्री सुरेश्वर तिवारी पुत्र श्री जगदीश तिवारी
निवासी ग्राम बेलहरा पो॰ रामपुर तह॰ निजामाबाद
जिला आजमगढ़
व्यवसाय: खेती सुरेश तिवारी
पहचानकर्ता :

श्री वीरेन्द्र राम पुत्र श्री जगदीश राम
निवासी: बाल्मीकिनगर सिधवा पो॰ रामपुर तह॰
निजामाबाद जिला आजमगढ़
व्यवसाय: खेती वीरेन्द्र राम

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डॉ॰ अनुज श्रीवास्तव
उप निबंधक : निजामाबाद

श्री श्रीकांत तिवारी
निबंधक लिपिक

मैंने श्री / श्रीमती गण साक्षियों के निशान अंगूठे लिये/लगवाये लिए गए हैं।
दिनांक

प्रिंट करें



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AA 459555

-४५-

विघटन की कार्यवाही:- ट्रस्ट के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही ट्रस्ट [illegible] अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की जायेगी।

माल की आरम्भ किया जा रहा है इसके अतिरिक्त कोई चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है।

दिनांक 31/03/2020

हस्ताक्षर गवाह

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक

का हस्ताक्षर

Shivam Rai

१: सुभाषचन्द्र तिवारी S/o
श्री जगदेव तिवारी
ग्राम- पिपड़ी पो० गम्भीरपुर
तह०- निजामाबाद आजमगढ़

२: [illegible]

लेखपत्र तैयारकर्ता/

टाइपकर्ता (किशोरी यादव)
प्राइवेट टाइपिस्ट दीवानी कचहरी
आजमगढ़।

पृष्ठ संख्या 69

https://igrsup.gov.in/Encumbrance/Index.aspx

पृष्ठ 1

दि० 31.7.2020

दि० 31.7.2020

विनय कुमार सिंह सहायक निबंधक
बि०सं० 40, कलेक्ट्री कचहरी
आजमगढ़

आवेदन सं०: 202000967002898

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 37 के पृष्ठ 1 से 82 तक क्रमांक 32 पर दिनांक 31/07/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डॉ० अमृता जोगसन्नेल
उप निबंधक : निजामाबाद
आजमगढ़
31/07/2020

दिनांक